



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, मैनिट रोड, भोपाल 462003
ddhrnhm@mp.gov.in, nhmhrmismp@gmail.com

क्र. / एनएचएम / HR / 2022 / 7358


भोपाल, दिनांक 18/10/2022

संशोधित आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक एनएचएम/एचआर/2022/7280, दिनांक 17/10/2022 के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में 31 मार्च, 2022 तक न्यूनतम 01 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर चुके संविदा आधार पर वार्षिक अनुबंध के अधीन राज्य, संभागीय एवं जिला स्तर में पदस्थ एवं कार्यरत संविदा कर्मचारियों के 5% (प्रतिशत) मासिक मानदेय 01 अप्रैल, 2022 से स्वीकृत किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त आदेश में निम्नानुसार दिशा-निर्देश को सम्मिलित किया जाता है:-

- ऐसे संविदाकर्मी जिनको किसी शिकायत/जॉच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डित कर पारिश्रमिक/मानदेय वृद्धि रोके जाने के संबंध में आदेशित किया गया है, ऐसे संविदाकर्मी पारिश्रमिक वृद्धि/मानदेय वृद्धि के पात्र नहीं होंगे तथा आदेश क्रमांक 7280, दिनांक 17/10/2022 लागू नहीं होगा। अतः उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।



(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पू. क्र. / एनएचएम / HR / 2022 / 7358

भोपाल, दिनांक 18/10/2022

प्रतिलिपि : सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, आयुष विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. निदेशक एवं संचालक, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, (एम्स) साकेत नगर भोपाल, म.प्र.।
8. अधीक्षक, एसआईएचएमसी जिला ग्वालियर, म.प्र.।
9. संचालक, वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
10. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
11. समस्त उप संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
13. उप संचालक, संचालनालय आयुष विभाग, मध्यप्रदेश।
14. उपसंचालक, आई.टी. एनएचएम की ओर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावें।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
16. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
17. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, म.प्र.


मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश